

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 289/01/आउशि/राज.स्था./2025

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/07/2025

प्रति,

✓ प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/सहा.प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था बाबत।

संदर्भ:- छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्र. ESTB-1027/1216/2025/38-1 दिनांक 23.07.2025।

—00—

उक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभागीय ज्ञापन क्र. एफ 3-54/स्था./2020/38-1 दिनांक 20.06.2024 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की अध्यापन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालन हेतु अतिथि व्याख्याता नीति-2024 जारी किये गये हैं।

संदर्भित पत्र के माध्यम से शासन द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में दी गई मापदंडों के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की सहमति प्रदान की गई है।

कृपया अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न -उपरोक्तानुसार

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर, दिनांक 23/07/2025

पृ.क्र. 290/01/आउशि/राज.स्था./2025

प्रतिलिपि :-

- 1/- सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर, जिला-रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।
- 2/- अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर (छ.ग.) संभाग की ओर सूचनार्थ।
- 3/- समस्त जिला कोषालय अधिकारी, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, नवा रायपुर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक File No.:ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/07/2025
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रवती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय - शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था।

विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/38-1 दिनांक 20.06.2024 द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याताओं की अध्यापन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालन हेतु अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी किये गये हैं।

2- राज्य शासन, एतद्वारा, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में दी गई मापदण्डों के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की सहमति प्रदान की जाती है।

3- यह स्वीकृति वित्त विभाग के Comp. No.:81829 File No.:FINACC 36/1276/2025- FINANCE FINACC दिनांक 23.07.2025 द्वारा सहमति प्राप्त किया गया है।

(राकेश कुमार ध्रुव)
Digitally signed by अवर सचिव
Rakesh Kumar Dhruw
Date: 23-07-2025
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक File No.:ESTB-1027/1216/2025/38-1 18:55:40 नवा रायपुर अटल नगर दि. 23/07/2025
प्रतिलिपि:-

- मान राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
- माननीय मुख्यमंत्रीजी के प्रमुख सचिव, छ.ग शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
- मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
- निज सचिव, सचिव, छ.ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
- सचिव, छ.ग शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर Comp. No.:81829 File No.:FINACC 36/1276/2025- FINANCE FINACC दिनांक 23.07.2025 के सदर्थ में सूचनार्थ।
- महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
- रामरत कलेक्टर, (छ.ग.)
- क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, विलासपुर/अविकापुर/जगदलपुर/रायपुर/दुर्ग (छ.ग.)
- समस्त प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय
- समस्त जिला कोषालय अधिकारी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- आदेश फोल्डर

Digitally signed by अवर सचिव
Rakesh Kumar Dhruw
Date: 23-07-2025
18:59:05
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग